दूरभाष / फैक्स :-0522-2970006
ईमेल-statelawcommission2018@gmail.com

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग

मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन, प्रशासनिक भवन, ब्लाक-बी0, आलमबाग, लखनऊ-226005।

पत्रांक : 60 /रा0वि0आ0/विविध/2025 दिनांक : 28/ जनवरी/2025

प्रतिष्ठा में,

समस्त जिला जज,
उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अन्तर्गत गठित लघुवाद न्यायालयों की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता के दृष्टिगत यथोचित अधिनियमन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षित है कि स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों को यथावश्यक अवकामित कर दिया जाए अथवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित/परिमार्जित करके पुनः अधिनियमित किया जाए। इसी क्रम में न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-668/सात-न्याय-2-2024-79-जी/2024, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के दृष्टिगत प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त) का परीक्षण उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग में किया जा रहा है।

उक्त के आलोक में निदेशानुसार निम्न बिन्दुओं पर आपका, आपके अधीनस्थ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों एवं जनपद के प्रबुद्ध बार एसोशिएसन का बहुमूल्य परामर्श/सुझाव/जानकारी/सूचना निवेदित है :-

1- उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रिमिसेस टीनेन्सी एक्ट, 2021 के प्रवृत्त होने के उपरान्त विगत 04 वर्षों (अर्थात् कैलेन्डर वर्ष 2021, 2022, 2023 एवं 2024) में दायर किये गये लघुवादों का वर्षवार विवरण,

Year wise breakup of institution of small cause suits in four Calendar year (i.e. Calendar year 2021, 2022, 2023 and 2024) after commencement of the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021,

2- उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रिमिसेस टीनेन्सी एक्ट, 2021 के प्रवृत्त होने के दिनांक (अर्थात् 24 अगस्त, 2021) से 03 कैलेन्डर वर्ष पूर्व लघुवाद से सम्बन्धित दायर एवं लम्बित वादों की वर्षवार संख्या,

Year wise breakup of institution and pendency of small cause suits of 03 Calendar Year before the date of commencement (i.e. 24 August, 2021) of the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021,

3- उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में लघुवाद न्यायालयों की प्रासंगिकता/आवश्यकता या उसे सुदृढ करने विषयक सुझाव,

Relevance/ necessity of Small Cause Courts in Uttar Pradesh or measures to strengthen them, after commencement of aforesaid Act,

4- उपरोक्त के आलोक में प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के संगत प्राविधानों को संशोधित/प्रतिस्थापित/निरसित किये जाने एवं नये प्राविधान सम्मिलित करने हेतु,

Scanned with OKEN Scanner

In view of above, proposals for amendment/substitution/repeal and insertion of new provisions in/of relevant provisions of Provincial Small Cause Courts Act, 1887,

5– वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लघुवाद न्यायालयों द्वारा मुख्यतः किन–किन मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा रहा है,

Dispute/matters which are being presently dealt with by the Small Cause Courts within its jurisdiction.

6– जनपद में स्वीकृत लघुवाद न्यायालयो की सख्या,

Number of sanctioned Small Cause Courts in the District,

7– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में त्वरित न्याय हेतु अन्य सुझाव एवं परामर्श,

In view of above other suggestions and advice for speedy justice,

कृपया उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को 01 माह के अन्दर उपरोक्त परामर्श / सुझाव / जानकारी / सूचना से लाभान्वित करने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

(वीर भद्र)
सचिव

आदेश

अवलोकित। सभी न्यायिक अधिकारियों से सुझाव अन्दर 15 दिवस आहूत हो। प्रति सिविल कोर्ट [illegible] को सुझाव हेतु प्रेषित हो। वेबसाइट पर अपलोड हो।

जिला जज
20/11/25